न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

<u>अग्रिम जमानत संख्या–539/2026</u>

(उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–183/2025; अन्तर्गत धारा:–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अरूण कुमार पासवान

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
16.06.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **अरूण कुमार पासवान,** उम्र–59 वर्ष, पिता–स्व0 रामदेव पासवान, ग्राम–बेलमोहन, सुदाई रतौली, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी की ओर से उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–183/2025 (अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 01.06.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री महेश्वर प्रसाद यादव द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो इस न्यायालय के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक व्यस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नही है। याचिकाकर्ता को इस मामले मे झुठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। अभियोजन का वाद सरा–सर झुठा, मनगढ़त व बनावटी है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय नागरिक है एवं उसके फरार होने तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से पुलिस बल को देखकर भागने मे सफल रहे थे एवं याचिकाकर्ता के मुर्गी फार्म से विभिन्न ब्रांड का कुल 697.725 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। वाद अनुसंधानरत है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहारं मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 17.10.2025 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल समय करीब 11:40 बजे फुलपरास थाना अंतर्गत ग्राम बेलमोहन स्थित आवेदक अरूण कुमार पासवान के अमरनाथ पासवान द्वारा संचालित मुर्गी फार्म के पास जैसे ही पहुंची तो दूर से ही छापामार दल के वाहन को देखकर आवेदक अरूण कुमार पासवान एवं अमरनाथ पासवान भागने मे सफल रहे। तत्पश्चात, उक्त मुर्गी फार्म के एक कमरे से रॉयल ग्रीन प्रिमियम ब्लेंडेड विस्की 750 मिली0 का 486 बोतल, मात्रा 364.5 लीटर एवं रॉयल ग्रीन प्रिमियम ब्लेंडेड विस्की 375 मिली0 का 240 बोतल, मात्रा 90 लीटर एवं रॉयल ग्रीन क्लासिक रिच ब्लेंडेड विस्की 750 मिली0 का 53 बोतल, मात्रा 39.750 लीटर एवं रॉयल ग्रीन क्लासिक रिच ब्लेंडेड विस्की 375 मिली0 का 24	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–539/2026

(उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–183/2025; अन्तर्गत धारा:–30(ए) बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अरूण कुमार पासवान

16.06.2026	बोतल, मात्रा 09 लीटर एवं रॉयल ग्रीन क्लासिक रिच ब्लेंडेड विस्की 180 मिली0 का 192 बोतल, मात्रा 34.560 लीटर एवं मेकडॉवेल नं0–01 750 मिली0 का 30 बोतल, मात्रा 22.50 लीटर, एवं ऑल सिजन गोल्ड कलक्सन रिजर्व विस्की 375 मिली0 का 48 बोतल, मात्रा 18 लीटर एवं ऑल सिजन गोल्ड कलक्सान रिजर्व विस्की 180 मिली0 का 48 बोतल, मात्रा 8.64 लीटर, ब्लू स्ट्रोक एक्सक्यूजीट विस्की 180 मिली0 का 480 बोतल, मात्रा 86.4 लीटर एवं रॉयल स्टेग प्रिमियम विस्की 375 मिली0 का 65 बोतल, मात्रा 24.375 लीटर, सभी मिलाकर विदेशी शराब की कुल मात्रा 697.725 लीटर बरामद किया गया। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 39 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 03, 04, 05, 06, 11 एवं 18 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से आवेदक के फरार होने एवं आवेदक के मुर्गी फार्म से भारी मात्रा मे शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टिया आवेदक के इस कांड एवं शराब के भंडारण व कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका 09 एवं 42 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नही है परन्तु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **अरूण कुमार पासवान** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 16.06.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner